



महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ७]

गुरुवार, मार्च ५, २०२६/फाल्गुन १४, शके १९४७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ११

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ५ मार्च, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. IX OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९ सन् २०२६।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५८ का ६०। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

सन् १९५८ का
६० की धारा ५२
क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कह गया है) की, धारा ५२ क की,-

सन् १९५८
का ६०।

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) “पाँच लाख” शब्दों के स्थान में, “बीस लाख” शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) में “संबंधित” शब्द के स्थान में, “रजिस्ट्रीकरण के संयुक्त महानिरीक्षक और स्टाम्प अधीक्षक तथा संबंधित” शब्द रखे जायेंगे।

(ख) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात्:—

“(२) (क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर,—

(एक) स्टाम्प के अतिरिक्त नियंत्रक, यदि भत्ते की राशि बीस लाख रुपये से अधिक है तथा एक करोड़ रुपये तक हो ;

(दो) रजिस्ट्रीकरण के संयुक्त महानिरीक्षक, और स्टाम्प के अधीक्षक यदि, भत्ते की राशि पचास लाख रुपये से अधिक तथा एक करोड़ रुपये तक हो ;

(तीन) संबंधित प्रभाग के रजिस्ट्रीकरण के उप-महानिरीक्षक तथा स्टाम्प के उप-नियंत्रक, यदि, भत्ते की राशि बीस लाख रुपये से अधिक है तथा पचास लाख रुपये तक हो ;

उक्त आवेदन पर विचार करेंगे और यह निर्णय करेंगे कि, ऐसा भत्ता दिया जाए या नहीं, तथा तदनुसार उसे स्वीकृत करेंगे।

(ख) खंड (क) में उल्लिखित प्राधिकारी यदि, भत्ते की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो, तो अपने अभिमत सहित ऐसा आवेदन निर्णय हेतु मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।”।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, १९५८ (सन् १९५८ का ६०) की धारा ५२ क में स्टाम्पों या चालान के अधीन अदा की गई नक़द राशि पर स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के उपबंध है, जो नष्ट हो गए हों, दुरुपयोग में आए हों या उपयोग के लिए आवश्यक न रहे हों। उक्त धारा ५२ क के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्रीधिकरण (सी सी आर ए) के अधीन विभिन्न प्राधिकरणों को बीस लाख रुपयों से अधिक न हो, की राशि के शुल्क के प्रतिदाय स्वीकृत करने के लिए सशक्त किया गया है तथा बीस लाख रुपयों से अधिक के राशि के शुल्क का प्रतिदाय स्वीकृत करने के लिए मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण को सशक्त किया गया है।

२. संपत्तियों के संव्यवहारों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए कई आवेदन दाखिल हो रहे हैं। समयावधि के दौरान सम्पत्तियों के मुल्यांकन में वृद्धि करने के कारण , मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों के केवल बीस लाख रुपयों तक स्टाम्प शुल्क के आर्थिक अधिकार-सीमा होने के कारण, मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकरण के समक्ष ऐसे आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के समक्ष ऐसे आवेदनों की संख्या बढ़ जाने से ऐसे आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया धीमी हो गई है।

इसलिए, सरकार, मुख्यनियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के अधीन प्राधिकारियों की आर्थिक अधिकार-सीमा बढ़ाने और ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटान करने के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना इष्टकर समझती है। साथ ही, विद्यमान प्राधिकारियों के अतिरिक्त, संयुक्त महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प अधीक्षक को भी ऐसा प्रतिदाय करने के अधिकार देने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा ५२ क में यथोचित संशोधन किए जाने का प्रस्तावित है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,

दिनांकित ४ मार्च, २०२६।

चंद्रशेखर बावनकुळे,

राजस्व मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

प्रभारी भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,

मुंबई,

दिनांकित ५ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,

सचिव-१,

महाराष्ट्र विधानसभा।